आविप्रा आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्याः– 31/17–18

दिनांक 26-02-2018

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु ई–निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–.

क स	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख मे)	निविदा मूल्य (रू0 मे)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियन्त्रण खण्ड
1	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत महुआखेडा में 1056 चार मजिले आवासों का निर्माण। (ग्रुप–ए)	4190.00	83.80	5000 +18 % GST	18 माह	विशिष्ट श्रेणी	खण्ड–2
2	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत महुआखेडा में 960 चार मंजिले आवासों का निर्माण। (ग्रुप–बी)	3810.30	76.20	5000 +18 % GST	18 माह	विशिष्ट श्रेणी	

- उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 21.03.2018 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें दिनाक 07.03.2018 से 20.03.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तेः–

1– उक्त कार्यो की निविदायें दिनांक 21.03.2018 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 12:30 अपरान्ह खोली जायेगी।

2– निविदायें दिनांक 07.03.2018 के अपरान्ह 12:30 बजे से दिनांक 20.03.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

3– निविदा के साथ रू 100/– का स्टैम्प पेपर एंव रू 02/– का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।

4 (क)– वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या 540002010006001 (बैंक का नाम/पता –यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया ए.डी.ए ब्रान्च जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा की दशा मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

4 (ख)– धरोहर धनराशि एफ.डी.आर/एन.एस.सी. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी के माध्यम से जो कि अधिशासी अभियता के पक्ष में बधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।

5–निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदा दाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियता से कर ले। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगें।

6–विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य मे दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्रधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पजीकरण शुल्क देना होगा।

7–निविदा की दरें शब्दों एव अको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

8–निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी.सी–2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।

9–सभी निविदादाताओ को श्रम विभाग, जी.एस.टी एवं अन्य कोई विभाग (जहॉं कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता कम्पनी का कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रश्नगत निविदा प्रकिया मं भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी मे न तो वह स्वय पार्टनर है न ही निदेशक है, तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पत्नी एव भाई आदि भी प्रश्नगत निविदा प्रकिया मे भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नही है अथवा प्रश्नगत निविदा प्रकिया मे भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नही है।

11–विद्युत सम्बन्धी कार्य उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगे।

12–निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विविाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।

13– 40 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अर्न्तगत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।

14– निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दे ताकि असफल निविदादाताओं की धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की जा सके।

मुख्य अभियंता

पत्रांक : 382/डी/सी.ई/2017–18,

दिनांक : – 26-2 2018

प्रतिलिपि :–

1–उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2–सचिव/वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अधीक्षण अभियता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–अधिशासी अभियन्ता ई–टेन्डरिंग/कम्पनी के प्रतिनिधि को इस आशय से प्रेषित कि वह बेवसाइट पर प्रकाशित कराये।
5–जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेब साइट एव दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायें।
6–समस्त अधि0अभि0 अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.क्यू. समयान्तर्गत अधि0 अभि0 ई–टेन्डरिंग को भिजवाये।
7–नौटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner